न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील जीसीएमएस नम्बर 2024/149

1. रामफूल पुत्र नानगा
2. हरिनारायण पुत्र कन्हैयालाल
3. सीताराम पुत्र कन्हैयालाल
4. रामचन्द्र पुत्र महादेव
5. प्रेमराज पुत्र महादेव
6. अर्जुनलाल पुत्र महादेव
7. बाबूलाल पुत्र महादेव

जाति मीना निवासी ग्राम कुंतलवास तहसील राहूवास जिला दौसा।

– अपीलान्ट्स

बनाम

1. सत्यप्रकाश पुत्र मूल्या
2. घासीराम पुत्र चन्दा
3. जगदीश पुत्र रणजीता (फौत)
4. तोफा देवी पुत्री मूलचन्द
5. नारायणी देवी पत्नि मूलचन्द
6. भगवानसहाय पुत्र मूलचन्द
7. भरतलाल पुत्र मूलचन्द
8. मीठालाल पुत्र मूलचन्द
9. राजाराम पुत्र मूलचन्द
10. रामकरण पुत्र मूलचन्द
11. रामप्रसाद पुत्र मूलचन्द

समस्त जाति मीना निवासी ग्राम कुंतलवास, तहसील राहूवास, जिला दौसा।

12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राहूवास, जिला दौसा।
13. नाथू पुत्र भौर्या
14. श्रवण पुत्र गोपाल
15. टुण्डा पुत्र गोपाल
16. रामप्रताप पुत्र नानगा

जाति मीना निवासी ग्राम कुंतलवास, तहसील राहूवास, जिला दौसा।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 29.08.2024 जो प्रकरण संख्या 136/2023 उनवानी सत्यप्रकाश बनाम राज. सरकार वगैरा अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री रजनीश गौड, वकील अपीलान्ट।
2. श्री नरेश कुमार जैन, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की ओर ।
3. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट संख्या 12 की ओर से।
4. रेस्पोडेन्ट संख्या 2, 4 लगा0 11 व 13 लगा0 16 की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक–23.05.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 29.08.2024 के खिलाफ प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 01.10.2024 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 11 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थीगण की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी ख०नं0 23 रकबा 3.8824 हैक्टेयर, ख0नं0 556/28 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, ख0नं0

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

568/29 रकबा 0.1770 हैक्टेयर कुल किता–3 कुल रकबा 4.1606 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम कुन्तलवास, प०ह० राहूवास, तहसील राहूवास, जिला–दौसा में स्थित है। जिसके प्रार्थीगण अभिलिखित सहखातेदार हैं। आराजी भूमि से प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी का कोई सम्बन्ध सरोकार वास्ता नहीं हैं। उक्त आराजी में प्रार्थीगण राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी अनुसार दर्ज है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं के निर्धारण के लिए पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 11 का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राहूवास को निर्देशित किया गया कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 3.8824 हैक्टेयर, ख०नं० 556/28 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, ख0नं0 568/29 रकबा 0.1770 हैक्टेयर वाकै ग्राम कुन्तलवास तहसील राहूवास जिला दौसा में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाना सुनिशिचित करें। प्रार्थीगण से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार सीमावर्ती काश्ताकारों को प्रार्थी के खर्चे पर सूचित करें। आदेश केवल पत्थरगढी का हैं, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की आवश्यकता हो तो तहसीलदार अपने स्तर पर पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त कर आदेश की पालना कराये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2024 पारित किये गये हैं।

3. उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के उक्त निर्णय दिनांक 29.08.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट रामफूल वगैरह ने यह अपील प्रार्थना पत्र धारा 96 सी.पी.सी. के साथ प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 29.08.2024 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा का आदेश विधि प्रक्रिया एवम् न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने के कारण निरस्तनीय है। अपीलांट्स आराजी खसरा नम्बर 25, 26, 333/2 वाके ग्राम कुंतलवास, तहसील राहूवास, जिला दौसा के रिकॉर्डेड खातेदार काबिज काश्तकार है अपीलांट्स के हक हिस्से व खातेदारी की उक्त वर्णित आराजी के लगती हुई रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 11 की खातेदारी की भूमि स्थित है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 11 की नियत में बेईमानी है तथा वे अपीलांट्स की भूमि को हडपने पर आमादा है एवम् इसी उद्देश्य की पूर्ति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 11 ने गलत सीमा विवाद बताकर बिना अपीलांट पडौसी खातेदारान को पक्षकारान बनाये बगैर गुपचुप में अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सीमाज्ञान व पत्थरगढी करवाये जाने बाबत धारा 128 एल आर एक्ट का प्रार्थना पत्र पेश कर उसे गुपचुप में स्वंय के हक में निर्णित करवा लिया तथा उक्त निर्णय की आड में अब रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 11 अपीलांट्स की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने को प्रयासरत है। कानूनन पत्थरगढी की कार्यवाही के लिए पडौसी खातेदार को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक होता है जिसकी अनदेखी कर निर्णय दिनांक 29.08.2024 पारित फरमाया गया है जो निरस्त फरमाये जाने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 29.08.2024 को फरमाते हुए अपने निर्णय में तहसीलदार राहूवास को निर्देशित किया है कि अप्रार्थीगण की भूमि का अनुभवी पटवारियों/भू–अभिलेख निरीक्षक की टीम गठित कर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी करवायी जावे जबकि अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार राहूवास को रेस्पोडेन्ट की उक्त भूमि के समीपवर्ती काश्तकारों को रेस्पोडेन्ट के खर्चे पर लिखित में सूचना देकर पत्थरगढी करवाये जाने का आदेश पारित किया जाना चाहिए था व पडौसी खातेदार की आपत्ति का निस्तारण किए बगैर किसी भी प्रकार की पत्थरगढी की कार्यवाही किया

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

जाना सरासर गलत है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने पडौसी खातेदारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना व उन्हें नोटिस देकर सूचित न करने बाबत आदेश पारित करने में कानूनी गलती की है। यहां यह निवेदन करना आवश्यक होगा कि तहसीलदार राहूवास द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पालना में अपीलांट्स को जो कि समीपवर्ती खातेदार काश्तकार है को किसी भी प्रकार की कोई लिखित या मौखिक सूचना नहीं दी है और बिना सूचना दिये ही अवैधानिक रूप से मौके पर पत्थरगढी कार्यवाही गुपचुप में अपीलांट्स समीपवर्ती खातेदार काश्तकारों की अनुपस्थिति में की जाकर अपीलांट्स समीपवर्ती खातेदारों की भूमि पर जबरन कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है ऐसी सूरत में निर्णय अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है।

अपीलांट्स की खातेदारी भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 11 की भूमि के लगती हुई है जिसने अपीलांट्स पडौसी खातेदार को पक्षकार बनाए बगैर ही उक्त प्रार्थना पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर अपीलांट्स के पीठ पीछे पोशीदा रूप से अपने प्रार्थना पत्र को निर्णित करवाया है और अब उक्त निर्णय की आड में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 11 अपीलांट्स की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। सीमाज्ञान पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र में पडौसी खातेदारान को पक्षकार बनाया जाना कानूनन आवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस तथ्य पर गौर नहीं कर मिन अपीलांट समीपवर्ती खातेदारान को सुनवाई व सबूत का अवसर न देकर निर्णय पारित करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन नहीं किया अपितु फौरी तौर पर रेस्पोडेन्ट संख्या एक से साज कर अपीलाधीन निर्णय पारित फरमाने में कानूनी भूल की है। चूंकि उक्त प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने से पूर्व सीमाज्ञान करवाया जाकर सीमाज्ञान की रिपोर्ट पत्रावली पर प्रस्तुत की जाती किन्तु प्रस्तुत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना किसी सीमाज्ञान रिपोर्ट का अवलोकन किये बगैर पत्थरगढी का आदेश पारित करने में विधि की भूल की है। रेस्पोडेन्ट संख्या 3 जगदीश पुत्र रणजीता का दौराने प्रार्थना पत्र दिनांक 27.01.2024 को देहान्त हो गया किन्तु उक्त मृतक पक्षकार के कायम मकामानों को रिकॉर्ड पर लिए जाने की कोई कार्यवाही नहीं की गई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्ध निर्णय फरमाया है।

अपीलांट्स एग्रीव्ड परसन है, तथा आराजी खसरा नम्बर 23 के पडौसी खातेदार है जिसे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 11 द्वारा जानबूझकर पक्षकार नहीं बनाया एवम् अपीलांट को जानकारी होने पर अपीलांट द्वारा आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करने पर उसे भी अवैधानिक रूप से न्यायालय की आदेशिका को काटकर खारिज फरमाया जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.08.2024 पारित किया गया है जिसकी आड में रेस्पोडेन्ट अपीलांट की खातेदारी भूमि पर कब्जा करने पर आमादा है। ऐसी सूरत में अपीलांट्स को धारा 96 सीपीसी के तहत अपील पेश करने की अनुमति प्रदान किया जाना आवश्यक है। जिस हेतु प्रकरण में अपीलान्ट्स द्वारा धारा 96 सीपीसी का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के निर्णय दिनांक 29.08.2024 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट्स सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट्स को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार फरमाकर निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा दिनांक 29.08.2024 निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 1 लगायत 11 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर. एक्ट बाबत् पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 11 की सहखातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि आराजी ख०नं० 23 रकबा 3.8824 हैक्टेयर, ख0नं0 556/28 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, ख0नं0

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

568/29 रकबा 0.1770 हैक्टेयर कुल किता–3 कुल रकबा 4.1606 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम कुन्तलवास, पटवार हल्का राहूवास, तहसील राहूवास, जिला–दौसा में स्थित है। जिसके रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 11 अभिलिखित सहखातेदार हैं। उक्त आराजी भूमि से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 11 के अलावा अन्य किसी का कोई सम्बन्ध सरोकार वास्ता नहीं हैं। उक्त भूमि की रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 11 वास्तविक रकबे अनुसार पत्थर गढ़ी करवाना चाहते हैं। इसलिए उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना लाजिम आया हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 11 उक्त भूमि के तन्हा सहखातेदार व काबिज काश्तकार हैं जो उक्त भूमि को शान्तिपूर्ण तरीके से काश्तकर लाभान्वित होते चले आ रहे हैं उक्त भूमि के पडौसी लोग लाठी एवं पैसे वाले है जो जबरन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 11 की भूमि पर अतिक्रमण कर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 11 के खातेदारी अधिकारों का हनन करने का असफल प्रयास करते हैं। जिसका उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कानूनी हक व अधिकार हांसिल नहीं हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 11 द्वारा उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 09.06.2023 को करवाया जा चुका हैं। लेकिन मौके पर विवाद की स्थिति बनी हुई है। इसलिए उक्त भूमि की पत्थरगढी करवाया जाना आवश्यक हो गया है। दिनांक 13.07.23 को पत्थरगढी हेतु तहसीलदार राहुवास से निवेदन किया तो रेस्पोडेन्ट सं. 12 ने कहा कि उपजिलाधीश रामगढ पचवारा से आदेश करावे। उक्त भूमि की पत्थरगढ़ी नहीं होने के कारण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 11 अपनी भूमि के चारों तरफ तारबंदी भी नही कर पा रहा है तथा अपनी खातेदारी भूमि पर विकास कार्य करने व उसका सदुपयोग करने से वंचित हो रहे हैं। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 11 की सहखातेदारी भूमि आराजी ख0नं0 23 रकबा 3.8824 हैक्टेयर, ख0नं0 556/28 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, ख0नं0 568/29 रकबा 0.1770 हैक्टेयर कुल किता–3 कुल रकबा 4.1606 हैक्टेयर भूमि वाकै ग्राम कुन्तलवास, पटवार हल्का राहूवास, तहसील राहूवास, जिला–दौसा का चिन्हीकरण कर जरिये पुलिस इमदाद पत्थर गढ़ी करवाया जाना न्यायोचित हैं ताकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 11 शान्तिपूर्वक अपनी खातेदारी भूमि पर काश्त करके लाभान्वित हो सकें तथा भूमि पर विकास कार्य करवा सकें। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 11 अत्यन्त निर्धन एवं काश्त पेशा व्यक्ति हैं जिनकी आराजी भूमि की जरिये पुलिस इमदाद पत्थरगढ़ी करवाया जाना न्यायोचित हैं अन्यया रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा० 11 को अपूरणीय क्षति कारित होगी। उक्त आराजी में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 11 राजस्व रिकॉर्ड में जमाबंदी अनुसार दर्ज है। प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की सीमाओं के निर्धारण के लिए पत्थरगढी करवाना चाहते है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 11 का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल. आर.एक्ट बाबत् पत्थरगढी स्वीकार किया जाकर तहसीलदार राहूवास को निर्देशित किया गया कि यदि किसी अन्य न्यायालय का स्थगन न हो तो प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 23 रकबा 3.8824 हैक्टेयर, ख०नं० 556/28 रकबा 0.1012 हैक्टेयर, ख0नं0 568/29 रकबा 0.1770 हैक्टेयर वाकै ग्राम कुन्तलवास तहसील राहूवास जिला दौसा में मौके पर फसल सरसब्ज न होने की स्थिति में आवश्यकता अनुसार अनुभवी पटवारियों/गिरदावरों की टीम गठित कर पत्थरगढी करवाना सुनिशिचित करें। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा0 11 से नियमानुसार राजकीय शुल्क वसूल किया जावे। पत्थरगढी से पूर्व तहसीलदार सीमावर्ती काश्ताकारों को प्रार्थी के खर्चे पर सूचित करें। आदेश केवल पत्थरगढी का हैं, जिसमें किसी प्रकार का कब्जा नहीं सम्भलाया जावे। अगर पुलिस जाब्ते की आवश्यकता हो तो तहसीलदार अपने स्तर पर पुलिस से समन्वय कर पुलिस/होमगार्ड इमदाद प्राप्त कर आदेश की पालना कराये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2024 पारित किये गये हैं, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट्स खारिज की जावे।

7. रेस्पोंडेन्ट संख्या 12 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा जिला दौसा द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.08.2024 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलार्थीगण को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलार्थीगण अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलिये अपील पेश करने के अधिकारी है। अपीलार्थीगण का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। प्रकरण पत्थरगढी से संबधित है। अपीलार्थी प्रकरण में प्रभावित खातेदार है जिसे सुना जाना आवश्यक था। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सीमाज्ञान/मौका रिपोर्ट में अपीलार्थीगण की उपस्थिति में सीमाज्ञान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध मौका रिपोर्ट महज औपचारिकता प्रतीत होती है। जिसमें सम्बन्धित खातेदारों/प्रभावित पक्षकारों की उपस्थिति न दर्शा कर मात्र उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर करवाए गए हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है। उक्त के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.08.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, ज़िला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाया जाकर् उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित किया जाना उचित समझते हैं।

<u>अतः आदेश है</u> कि अपील अपीलार्थीगण आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.08.2024 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा, जिला दौसा को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्षकारान की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाया जाकर् उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत् युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(दीप्ति कछवाहा)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 23.05.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर